

नम्बर
अहकाम
हुकम
में ज

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

8-6-2016 आज यह पत्रावली दावा संख्या
152/2001 दस्तम वगैरा बनाम गुलशेर वगैरा
के साथ से दमफीता से अलग की गई।
दावा दस्तम वगैरा बनाम गुलशेर वगैरा को
आज राजस्व लोक अदालत कैम्प तलाकडा
में निर्णित किया जा चुका है। वादी मजरुहीन
ने राजीनामा पेश कर राजीनामे में अंकित
किया है कि पक्षकारान ने मुकदमा दस्तम वगैरा
बनाम गुलशेर वगैरा से सहमति के आधार
पर दावा वापिस ले लिया है। इसलिये यह
दावा भी वापिस ले रहा हूँ। अगर सहमति से
विभाजन पक्षकारों में नहीं होता है तो नया
दावा पेश करने की घूर दी जावे।

मजरुहीन

प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद
निर्णित किया जाता है। पचा डिक्ली जारी किया
जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो एवं वाद तक्मील कारखिल दफतर हो।

(S. K. Sharma)
(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(R. K. Sharma)
(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(M. N. D. Sharma)
(मुनिंदवयाल)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगपुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) तलावडा

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है

मुकदमा नं. -207 / 2005

वादी की ओर से वादी मजरुद्दीन व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी --- की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 8.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनाम के अनुसार पक्षकारान तहसीलदार गंगपुर सिटी के यहाँ सहमति से विभाजन करा लेगे इसलिए वादी को यह वाद वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। सहमति से विभाजन नही होने की स्थिति में वादी को नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 8.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगपुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/	1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2 अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3 प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		4 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		5 आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		6 कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

उनवान

मजरुद्दीन पुत्र सोन्या, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी— वादी

बनाम

1. अब्दुल गफ्फार पुत्र सोन्या, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी(मृतक)
- 1/1.मु0 गुलाब पत्नि अब्दुल गफ्फार, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 1/2.जुवेदा पुत्री अब्दुल गफ्फार पत्नि महीनुद्दीन, मुसलमान निवासी उदेईकलां तह0गंगापुर सिटी
- 1/3.रईसन पुत्री अब्दुल गफ्फार पत्नि कमालुद्दीन, मुसलमान निवासी उदेईकलां तह0गंगापुर सिटी
- 1/4.कल्लो पुत्री अब्दुल गफ्फार पत्नि कल्लू, मुसलमान निवासी सपेरा बस्ती गंगापुर सिटी
2. बत्तू पुत्र सोन्या, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
3. फारूख पुत्र सोन्या, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
4. मोहम्मद पुत्र सन्तू, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
5. रमजी बेवा सन्तू, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
6. फरीदा बेवा सलीम, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
7. फरीद पुत्र सलीम, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
8. मुफीद पुत्र सलीम, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
9. गुलशेर पुत्र सूखा, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 10.समसू पुत्र सूखा, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 11.साबुद्दीन पुत्र सूखा, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 12.हस्तम पुत्र गफ्फार, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 13.हकीम पुत्र गफ्फार, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 14.हुसैन पुत्र गफ्फार, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 15.रमजा पुत्र गफूरया, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 16.जुम्मा पुत्र गफूरया, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 17.नसरु पुत्र गफूरया, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 18.कमरु पुत्र गफूरया, साईं मुसलमान निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 19.लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

—प्रतिवादी



उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

